



कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय,
पल्लवपुरम फेस-2, मेरठ

अल्पकालिक निविदा सूचना

एतद्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु अनुभवी एवं विश्वसनीय निविदादाताओं से मोहरबन्द निविदाये दो भागों में आमंत्रित की जाती है। निविदा के प्रथम भाग में धरोहर राशि प्रति निविदा रू0 2000.00 एवं निविदा मूल्य प्रति निविदा रू0 1180.00, जो कि आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, पल्लवपुरम फेस-1, मेरठ में संचालित SUPERINTENDING ENGINEER, EDC-II, MEERUT EXP A/C PVVNL के खाता संख्या 066705000855, आईएफएससीकोड नं0 ICIC0000667 मे आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा कराकर, साक्ष्य की प्रति उपरोक्तानुसार निविदाये के प्रपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क जमा किये एवं सप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा के द्वितीय भाग में दरें प्रस्तुत की जायेगी। **निविदा खुलने की तिथि 17.05.2022** को 14:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन 16.00 बजे निविदादाताओ/अधीकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खुलने की तिथि को यदि अवकाश होगा तो निविदा अगले कार्य दिवस में प्राप्त व खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तें निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कर कार्यालय से निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। (1) संख्या-26/विविम-2/मे/2022-23, मण्डल के अन्तर्गत वि0वि0खण्ड-द्वितीय, मेरठ के कार्य क्षेत्र में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रांकलनों के सापेक्ष विभिन्न प्रकार के कार्य आदि। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने एवं सामग्री को घटाने/बढ़ाने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। कृपया विस्तृत सूचना निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।

राष्ट्र हित में बिजली बचाये "बिजली चोरी की सूचना हेल्प लाइन नम्बर पर दें : 1800-180-3002 (मेरठ),
1800-180-8752 (लखनऊ)

कार्यालय ज्ञाप सख्या 132 – ज०स०विज्ञा०/राविप/98-19 जस/81
दिनांक 23.2.98 का संलग्न (विज्ञापन आदेश का प्रारूप)

कार्यालय का नाम व पूरा पता :

विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय पल्लवपुरम फेस-2, मेरठ।

पत्र संख्या:- 300 / वि०वि०मं०द्वि० / मेरठ

दिनांक :-02.05.2022

विषय-प्रकाशन हेतु निविदा सूचना/ई-निविदा सूचना/अल्पकालीन सूचना/शुद्धि सूचना-----

प्रथमप्रति / द्वितीय प्रति

सेवामें,

(1) विज्ञापन व्यवस्थापक

(2) विज्ञापन व्यवस्थापक

(3) विज्ञापन व्यवस्थापक

**दैनिक हिन्दुस्तान
नई दिल्ली।**

**दैनिक पंजाब केसरी
मेरठ।**

महोदय,

- कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्र में दिनांक **03.05.2022** तक के अंक में कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार-पत्रों के लिये 8-10 प्वाइंट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6-8 प्वाइंट टाइप में) समाचार-पत्र में केवल 'दो कालम में' प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।
 - स्थानीय प्रकृति की सूचनायें जैसे-बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 - प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन- शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी प०वि०वि०नि०लि० (मुख्यालय) मेरठ को/अधोहस्ताक्षरी को (जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होता है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के समापन पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
 - संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा को विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्र में तथा हिन्दी समाचार-पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार-पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 - विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्ब एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - यदि आप को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं द्रश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।
 - विज्ञापन के अन्त में नीचे छोटे टाईप में 'राष्ट्र हित में बिजली बचाये' का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
 - उक्त निर्देशों के विपरित तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में परिषद द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।
- संलग्नक :- 1. विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।**

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता

पत्र संख्या 300 / वि० वि० मं० द्वि० मेरठ /

दिनांक :- 02.05.2022

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी प० वि० वि० नि० लि० (मुख्यालय)मेरठ

संलग्नक :-विज्ञापन सामग्री

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता

पत्र संख्या 300 / वि० वि० मं० द्वि० मेरठ /

दिनांक :- 02.05.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अधीक्षण अभियन्ता, (वाणिज्य) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।
- सूचनापट।

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता